संख्या:29/2022/1422348/12-2099/142/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2022

विषय: फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी के उद्देश्य से दिनॉक 25 अप्रैल, 2022 से दिनॉक 01 मई, 2022 के मध्य 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 12019/02/2016-क्रेडिट-11, दिनांक 13 अप्रैल,2022 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत द्वारा मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बीमा योजनाओं के अन्तर्गत किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी के उद्देश्य से दिनांक 25 अप्रैल, 2022 से दिनॉक 01 मई, 2022 के मध्य प्रदेश के जनपदों में बीमा कम्पनियों, कामन सर्विस सेन्टर एवं नोडल विभाग के माध्यम से 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव दिनांक 25 अप्रैल, 2022 से दिनॉक 01 मई, 2022 के मध्य प्रदेश में फसल बीमा पाठशाला के अन्तर्गत एस.ओ.पी. (Standard Operating Procedure) के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन, हितधारकों यथा राज्य सरकार, बीमा कम्पनी एवं कॉमन सर्विस सेन्टर की भूमिका एवं आयोजन की रूप-रेखा निम्नानुसार सुनिश्चित की जाए:-

(i) कृषकों को योजना के प्राविधानों तथा योजना के लाभ से अवगत कराया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। फसल बीमा पाठशालाओं में किसानों के साथ-साथ कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, आत्मा योजना के कार्मिक, सी.एस.सी. के अधिकारी, पैक्स, के.वी.के. एवं कृषक उत्पादक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) कॉमन सर्विस सेन्टर के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में दिनॉक 26 अप्रैल, 2022 को एक वृहद कार्यक्रम के आयोजन के दृष्टिगत प्रदेश के जनपद स्तर के सभी अधिकारियों यथा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, आत्मा योजना के कार्मिक, सी.एस.सी. के अधिकारी, पैक्स, के.वी.के. एवं कृषक उत्पादक संगठनों, क्षेत्रीय प्रगतिशील कृषकों की सहभागिता के साथ-साथ जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक एवं अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जाए तथा कृषक हित में इस विशेष कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

(iii) जनपदीय अधिकारियों, बीमा कम्पनी के अधिकारियों एवं कॉमन सर्विस सेन्टर के अधिकारियों द्वारा आपसी सहयोग से फसल बीमा पाठशाला का प्रचार-प्रसार किया जाए एवं प्रत्येक दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की प्रेस-ब्रीफिंग करायी जाए।

(iv) जनपद, तहसील एवं ब्लॉक लेवल के बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिनॉक 25 अप्रैल, 2022 से दिनॉक 01 मई, 2022 के मध्य प्रत्येक दिन कम से कम एक पाठशाला का आयोजन सुनश्चित कराया जाए तथा प्रत्येक पाठशाला में कम से कम 100 कृषकों की अनिवार्य रूप से प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने के साथ ही साथ बीमा कम्पनियों द्वारा महिला कृषकों की भी प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जाए।

(v) बीमा कम्पनियॉ जनपदीय अधकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम में कृषि विभाग के क्षेत्रीय/ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिकों, बी.टी.एम. एवं ए.टी.एम. की कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करायी जाए।

(vi) फसल बीमा पाठशालाओं का आयोजन पंचायत भवन, सरकारी विद्यालय, हेल्थ केयर सेन्टर, सामुदायिक केन्द्र आदि में सुनिश्चित कराया जाए ताकि कृषकों को प्रतिभागिता में सुविधा हो।

(vii) ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली फसल बीमा पाठशलाओं की तिथियों की घोषणा संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादी कराकर अथवा ग्राम पंचायत कार्यालयों में बैठक की नोटिस जारी कराकर सुनिश्चित की जाए।

(viii) फसल बीमा पाठशालों में किसानों के साथ-साथ जनप्रतिनिधिगणों यथा मा0 सांसद, मा0 विधायक एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायत स्तर के क्षेत्रीय स्तर के कार्मिकों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व एवं पंचायती राज विभाग के कार्मिकों की प्रतिभागिता करायी जाए। उक्त के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, कृषक प्रतिनिधि, कृषक उत्पादक संगठन, पैक्स एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों एवं अन्य ग्रामीण संगठनों के प्रतिनिधियों को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।

(ix) जनपदीय उप कृषि निदेशक (नोडल अधिकारी, पी.एफ.एफ.बी.वाई.) जनपद स्तर पर प्रत्येक दशा में दिनांक 20 अप्रैल, 2022 तक बीमा कम्पनियों एवं कॉमन सर्विस सेन्टर के अधिकारियों साथ बैठक करके ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वाले फसल बीमा पाठशाला से संबंधित कार्यक्रमों की रूप-रेखा, तिथि एवं स्थान का निर्धारण करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए।

6. उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन किए जाने हेतु जनपद के समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आयोजित होने वाली फसल बीमा पाठशालाओं में कोविड के प्रोटोकाल का पालन भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:29/2022/1422348/12-2099/142/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एफ0एफ0बी0वाई0, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलीय, संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सम्बन्धित बीमा कम्पनियां द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. प्रबन्धक, कॉमन सर्विस सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।